एफसीएनआर (बी) जमा स्कीम पर सामान्य प्रश्न

1. एफसीएनआर (बी) खाता क्या है ?
- विदेशी मुद्रा अप्रवासी (बैंक) खाता।
- केवल प्राधिकृत शाखाएं ही अनुमोदित मुद्रा में यह खाता खोल सकती हैं।

2. एफसीएनआर (बी) खाते कौन खोल सकता है ?
- केवल अप्रवासी व्यक्तियों एकल/संयुक्त के द्वारा यह खाता खोला जा सकता है।

3. अप्रवासी भारतीय/भारतीय मूल के व्यक्ति कौन हैं ?
- वे भारतीय निवासी, जो विदेश में स्थाई रूप से रोजगार, पढाई तथा रह रहे हैं और विदेशी नागरिक (पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोडकर) जो भारतीय मूल के है।
- उच्चतर अध्ययन हेतु विदेश गये विद्यार्थियों को अप्रवासी माना जाता है।

4. एफसीएनआर (बी) के अंतर्गत किस प्रकार के खाते खोले जा सकते हैं ?
- केवल सावधि जमा खाते जो न्यूनतम 1 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष में परिपक्व होने वाले हो।

5. हमारे बैंक में ये खाते किन मुद्राओं में खोले जा सकते हैं ?
- पाउंड स्टर्लिन, यूएस डॉलर, यूरो, जापानी येन, कनेडियन डॉलर, आस्ट्रेलियन डॉलर।

6. ये खाते किन निधियों से खोले जा सकते हैं ?
- जमाकर्ता के चयन के अनुसार सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से परिवर्तनीय मुद्रा में विदेशी आंतरिक प्रेषणों के माध्यम से प्राप्त निधियों सहित/रहित किसी भी स्वीकृत मुद्रा में ये खाते खोले जा सकते हैं। एनआरआई की अल्पकालिक यात्रा के दौरान विदेशी मुद्रा यात्री चैक/नोटों को खाते में जमा करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।

7. क्या ये खाते भारतीय निवासियों के साथ संयुक्त रूप से खोले जा सकते है ?
- यदि सभी खाताधारक भारतीय राष्ट्रीयता या मूल के हैं, तो दो या अधिक अप्रवासी व्यक्तियों के नाम पर खाता खोला जा सकता है।

- 'पूर्व या उत्तरजीवी "आधार पर (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 में परिभाषित रिश्तेदार) निवासी के करीबी रिश्तेदार। निवासी के करीबी रिश्तेदार एनआरआई/पीआईओ खाता धारक के जिवित रहने के दौरान मौजूदा निर्देशों के अनुसार पॉवर ऑफ अटार्नी धारक के रूप में खाते को संचालित करने के लिए पात्र होंगे।

8. क्या एफसीएनआर (बी) खाते में नामांकन की अनुमति है ?
- खाते में अप्रवासी भारतीय/भारतीय मूल के व्यक्ति या एक निवासी के पक्ष में नामांकन की अनुमति है।

9. स्कीम के अंतर्गत परिपक्वता अवधियां क्या हैं ?
-(क) 1 वर्ष या उससे अधिक पर < 2 वर्ष (ख) 2 वर्ष या उससे अधिक पर < 3 वर्ष (ग) 3 वर्ष या उससे अधिक पर < 4 वर्ष (घ) 4 वर्ष या उससे अधिक पर < 5 वर्ष (च) केवल पांच वर्ष

10. क्या एफसीएनआर (बी) खाते से प्राप्त ब्याज आय, आयकर के तहत कराधीन है?

- नहीं, एफसीएनआर (बी) खाते से प्राप्त ब्याज आय की आयकर नियमों के तहत छूट है।
11. क्या एफसीएनआर (बी) खाते के तहत जमा संपत्ति कर के तहत कराधीन है?

- नहीं, एफसीएनआर (बी) खाते के तहत जमा संपत्ति कर के तहत कराधीन नहीं है।

12. क्या पावर ऑफ अटोर्नी धारक भारतीय निवासी को खाता संचालन की अनुमति है?

- हाँ, वह खाता संचालन के बारे में निर्देश दे सकता है, पर केवल खाता धारक को ही विदेश में राशि प्रेषित कर सकता है।

13. क्या संयुक्त खाता धारकों के नाम/मों को जोड़ने और हटाने की अनुमति है ?

- सभी संयुक्त खाताधारकों के अनुरोध पर नियमानुसार बैंक संयुक्त खाता धारक/कों के नाम/मों को जोड़ने या हटाने की अनुमति दे सकता है।

14. क्या एफसीएनआर (बी) के अंतर्गत राशि स्वदेश भेजने योग्य हैं?
- हां निधियां पूर्णतया (मूल और ब्याज) स्वदेश भेजने योग्य हैं।
15. क्या खाते की आय थर्ड पार्टी को स्वदेश भेजने योग्य है ?
- हाँ। निर्देशानुसार, इन स्वदेश प्रेषणों के बारे में बैंक की संतुष्टि पर निर्भर करता है।
16. क्या भा.रि.बैं. की पूर्वानुमति के बिना एफसीएनआर (बी) एनआरई खाते से एफसीएनआर (बी) खाते में और इसी प्रकार विपरीत तरीके से निधियों का अंतरण की अनुमति है ?
- हाँ

17. एफसीएनआर (बी) खाते पर ब्याज के भुगतान का तरीका क्या है?
क) 1 वर्ष तक की जमाओं के लिए बिना किसी चक्रवृद्धि के।
ख) 1 वर्ष से अधिक की जमाओं के लिए प्रत्येक 180 दिनों के अंतराल पर चक्रवृद्धि और उसके बाद बचे हुए वास्वतिक दिनों के लिए।
18. रविवार/अवकाश/गैर-कार्य दिवसों को परिपक्व होने वाली सावधि जमाओं पर ब्याज का भुगतान किस प्रकार किया जाता है?
- बैंक को भुगतान की देय तिथि और वास्तविक तिथि के बीच सफल कार्य दिवस पर उपर्युक्त दिनों के लिए जमा राशि पर मूल अनुबंधित दर के अनुसार ब्याज का भुगतान करना होगा।
19. क्या खाता धारक/थर्ड पार्टी को एफ.सी.एन.आर.(बी) जमाओं के प्रति ऋण/ओवरड्राफ्ट देने की कोई सुविधा उपलब्ध है ?
-हाँ, भा.रि.बैं. दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमोदित उद्देश्यों हेतु

20. एफ.सी.एन.आर. (बी) जमाओं के प्रति अग्रिम लेने पर क्या प्रतिबन्ध है
- (क) भारत में
खाताधारक/तृतीय पक्षों के लिए
सामान्य मार्जिन आवश्यकताओं के अनुसार बिना किसी सीलिंग अनुमति होगी।
(ख) विदेश में
खाताधारक/तृतीय पक्षों के लिए
अनुमति है।

21. भारत लौटने पर अप्रवासी भारतीयों के लिए एफ.सी.एन.आर. जमाओं पर कैसे ब्याज देय है?

- बैंक नियमानुसार, स्थायी रुप से भारत लोटने वाले अप्रवासी भारतीय/भारतीय मूल के व्यक्तियों को उनकी इच्छानुसार एफ.सी.एन.आर. (बी) जमाओं को परिपक्वता तक अनुबंधित ब्याज पर जारी रखने की अनुमति दे सकता है।

22. क्या जमाओं का परिपक्वता पूर्व आहरण की अनुमति है

- हाँ जमाकर्ता के अनुरोध पर बैंक परिपक्वता पूर्व आहरण की अनुमति देता है।

23. क्या एफसीएनआर (बी) जमा के परिपक्वता पूर्व आहरण पर कोई दंड लिया जाता है ?

- वर्तमान दिशानिर्देश निम्नानुसार हैं :-

क) एफसीएनआर (बी) जमाओं को नवीकृत करने के उद्देश्य से परिपक्वता पूर्व रद्द करने और फिर एक अवधि के लिए, जो कि मूल परिपक्वता तिथि तक या उससे अधिक है, के मामले में मूल जमा की तिथि पर लागू दर से बिना किसी भी दंड के ब्याज का भुगतान उस अवधि के लिए किया जा सकता है जिस अवधि तक जमा बैंक के पास थी।

ख) यदि स्कीम के तहत जमाएं परिपक्वता पूर्व आहरित की जाती हैं, तो इन जमाओं पर उस अवधि तक लागू ब्याज की दर पर 1.00% दंड का लगाया जाएगा।

ग) न्यूनतम निर्धारित परिपक्वता अवधि जैसे एक साल तक न चलने वाली जमाओं पर कोई ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

घ) खाताधारक के अनुरोध पर परिपक्वता अवधि से पूर्व एफसीएनआर (बी) जमाओं के एनआरई जमाओं में परिवर्तित किए जाने पर, इन इन जमाओं पर उस अवधि तक लागू ब्याज की दर पर 1.00% दंड का लगाया जाएगा।

24. क्रेडिट और डेबिट

– एफडीआई निवेशों की बिक्री से प्राप्त आय समेत एनआरई खातों के सम्बन्ध में सभी डेबिट/क्रेडिट स्वीकृत है।

25. अन्य शर्त

संयुक्त खाते निधि प्रत्यावर्तन, अस्थाई यात्रा के दौरान खाता खोलने, पावर ऑफ अर्टोनी द्वारा संचालन, खाते में रखी निधि की प्रतिभूति के प्रति ऋण अधिविकर्ष के संबंध में एनआरई खातों पर लागू नियम और शर्ते आवश्यक परिवर्तनों सहित एफ.सी.एन.आर. (बी) खाते पर लागू होगी।